

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 2018

विषय:- आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगा जल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाष मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ०प्र० जल निगम आगरा द्वारा बिछाई गयी पाइप लाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे० आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

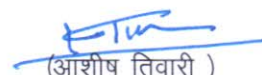
उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2693/आगरा/32379/2018, दिनांक-17-3-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ द्वारा आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगा जल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाष मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ०प्र० जल निगम आगरा द्वारा बिछाई गयी पाइप लाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे० आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

2- वूँकि विषयगत प्रकरण में प्रस्तावक द्वारा बिना अनुमति वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है, अतएव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रस्तर 4.3 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 29-01-2018 में विहित व्यवस्थानुसार पैनल कम्पनसेटरी एफोरेस्ट्रेसन की शर्त के साथ कार्योत्तर स्वीकृति (Ex. Post Facto sanction) की संस्तुति की जाती है।

3- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

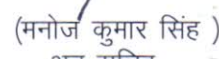

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी-69(1)/14-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, आगरा वृत्त आगरा।
- 3- जिलाधिकारी आगरा।
- 4- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
- 5- परियोजना प्रबंधक गंगाजल परियोजना इकाई उ०प्र० जल निगम आगरा।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव